



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार-249404

संख्या: 101/06/ई0-05/ डी0आर0/सहा0लेखा0/2022-23

दिनांक :: 02 दिसम्बर, 2022

शुद्धि पत्र

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या-ए/ई-05/डी0आर0/सहा0लेखा0/2022-23, दिनांक 28.10.2022 द्वारा प्रकाशित "सहायक लेखाकार परीक्षा-2022" के विज्ञापन में विभिन्न जनपदों के कोषागारों एवं कोषागार, पेंशन एवं हकदारी निदेशालय के अन्तर्गत सहायक लेखाकार के पदों की रिक्तियों को विज्ञापित किया गया था।

निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या- 4920, दिनांक 31.10.2022 व पत्रांक संख्या-4997, दिनांक 03.11.2022 एवं विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों के माध्यम से जनपदीय कोषागार के रिक्त सहायक लेखाकार पदों के प्रेषित संशोधित अध्याचन के क्रम में उक्त विज्ञापन के बिन्दु सं0-02 रिक्तियों का विवरण के अन्तर्गत प्रस्तर-01, 03, 05 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13 एवं 24 में उल्लिखित विभागों के सहायक लेखाकार पदों के ऊर्ध्वाधर श्रेणी एवं क्षैतिज श्रेणी की रिक्तियों को संशोधित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-4601, दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 में उल्लिखित सिविल याचिका संख्या-5477/2016 मनोज कुमार और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2021 को पारित निर्णय एवं उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-6 के पत्र संख्या-45, दिनांक 21 जून, 2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में उक्त रिट याचिका में सम्मिलित 44 याचिकाकर्ताओं को प्रश्नगत परीक्षा में शामिल किये जाने के साथ ही 07 याचिकाकर्ताओं को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की गयी है, जिसका विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त याचिकाकर्ताओं को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने हेतु दिनांक 03.12.2022 से दिनांक 17.12.2022 तक आयोग की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया गया है। उक्त 44 याचिकाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे उक्त अवधि में अपना आवेदन कर लें, यदि पूर्व में उनके द्वारा सहायक लेखाकार परीक्षा-2022 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर लिया गया है, तो पुनः ऑनलाइन आवेदन न किया जाय।

अभ्यर्थियों के सूचनार्थ उक्त संशोधित रिक्तियों की संख्या एवं अन्य विवरण आयोग की वेबसाइट-psc.uk.gov.in पर शुद्धि पत्र/विस्तृत विवरण के माध्यम से प्रसारित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

-Sd-

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव